डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर

इजलास **डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 56/2023 **निर्णय दिनांक :03.02.2025**

शान्ति देवी पत्नि अमर चन्द जाति रेगर
निवासी ग्राम बिलोची तहसील आमेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व० नोन्दा रेगर (मृतक दौराने प्रकरण)
   1/1 लाडा देवी पत्नी स्व. रामचंद्र रेगर
   1/2 सूरजमल पुत्र स्व. रामचन्द्र रेगर
   1/3. सुगम चन्द पुत्र स्व. रामचन्द्र रेगर
   1/4. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रामचन्द्र रेगर
   1/5. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रामचन्द्र रेगर
   1/6 बिरदी देवी पुत्री स्व. रामचंद्र पत्नी पूरणमल रेगर
   1/7 ममता देवी पुत्री स्व. रामचंद्र पत्नी ग्यारसी लाल रेगर
   समस्त निवासी ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. बदरी पुत्र स्व० नोन्दा रेगर
   निवासी ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. गंगा देवी पुत्री स्व. नोंदा रेगर पत्नी पूरण
   निवासी ग्राम सामोद तह चौमू जिला जयपुर राजस्थान
4. लक्षमा देवी पुत्री स्व० नोन्दा रेगर पत्नि पदम चन्द रेगर
   निवासी ग्राम सामोद तह चौमू जिला जयपुर राजस्थान
5. लाडा देवी पुत्री स्व. नोन्दा रेगर पत्नि शम्भू
   निवासी ग्राम झाडली जिला नीम का थाना राजस्थान
6. कोशल्या पुत्री स्व० मुरलीधर रेगर पत्नि पूरणमल
   निवासी ग्राम उदयपुरिया तह. चौमू जिला जयपुर
7. छोटा पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नि रामजीलाल
   निवासी ग्राम भांकरोटा तह. सांगानेर जिला जयपुर
8. बरजी देवी पत्नि स्व. मुरलीधर रेगर (मृतक)
9. भग्गू देवी पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नी मूलचंद
   निवासी ग्राम तिगरिया धारिया तहसील चौमू जिला जयपुर
10. गीता देवी पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नि सूरजमल
    निवासी ग्राम धानोता तहसील चौमू जिला जयपुर
11. सूणी देवी पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नि लालाराम
    निवासी ग्राम केसानुर धावास जयपुर
12. सन्तरा देवी पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नि रघुवीर
    निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू जिला जयपुर
13. सावित्री देवी पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नि जगदीश
    निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू जिला जयपुर
14. द्वारका प्रसाद पुत्र मुरलीधर रेगर
15. लक्ष्मीनारायण पुत्र मुरलीधर रेगर
16. प्रभू दयाल पुत्र मुरलीधर रेगर
    समस्त निवासी निवासी ग्राम बिलोची तह. आमेर जिला जयपुर राजस्थान
17. गुड्डु देवी पुत्री स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर पत्नि राजमल
    निवासी ग्राम सराई बावडी तहसील आमेर जिला जयपुर
18. मंजू देवी पुत्री स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर पत्नि दिनेश
    निवासी ग्राम खोरा सरना तहसील आमेर जिला जयपुर
19. माया देवी पुत्री स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर पत्नि महेन्द्र
    निवासी ग्राम खोरा सरना तहसील आमेर जिला जयपुर
20. मीना देवी पुत्री स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर पत्नि प्रेमचन्द
    निवासी ग्राम चाकसू तहसील चाकूस जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

21. रवि पुत्र स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर
22. शशी पुत्र स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर
23. श्रीमती प्रभा देवी पत्नी स्व. भीवा उर्फ भीमसेन रेगर
    समस्त निवासी ग्राम बिलोची तहसील आमेर जिला जयपुर राज०
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीया द्वारा एक सद्भावी क्रेता के रूप में भूमि ख.नं. 328/552 रकबा 2 बीघा के एकमात्र अभिलिखित खातेदार नोन्दा पुत्र भैरू जाति रैगर से विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के भूमि का क्रय किया गया है जिसका हाल खसरा न 1600 रकबा 0.50 है. कायम किया गया है। जिसके क्रम में वादीया का नाम ईन्द्राज नहीं किया जाकर विक्रेता की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान के नाम ईन्द्राज कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त/विलोपित कराकर स्वयं के नाम का ईन्द्राज कराने की वादीया विधिक अधिकारी है।अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर वादीया को वाके ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. के संदर्भ में प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम विलोपित करते हुए वादीया के नाम का ईन्द्राज किया जावे तथा उक्त भूमि ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. वादीया की एकल खातेदारिता में पृथक खाता कायम किया जावे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.02.2025 को जारी की गई।

दस्तखत .....
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर
ओहदा .....

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस)

वाद संख्या : 56/2023 **निर्णय दिनांक :03.02.2025**

शान्ति देवी पत्नि अमर चन्द जाति रेगर
निवासी ग्राम बिलोची तहसील आमेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व० नोन्दा रेगर (मृतक दौराने प्रकरण)
   1/1 लाडा देवी पत्नी स्व. रामचंद्र रेगर
   1/2 सूरजमल पुत्र स्व. रामचन्द्र रेगर
   1/3. सुगम चन्द पुत्र स्व. रामचन्द्र रेगर
   1/4. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रामचन्द्र रेगर
   1/5. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रामचन्द्र रेगर
   1/6 बिरदी देवी पुत्री स्व. रामचंद्र पत्नी पूरणमल रेगर
   1/7 ममता देवी पुत्री स्व. रामचंद्र पत्नी ग्यारसी लाल रेगर
   समस्त निवासी ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. बदरी पुत्र स्व० नोन्दा रेगर
   निवासी ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. गंगा देवी पुत्री स्व. नोंदा रेगर पत्नी पूरण
   निवासी ग्राम सामोद तह चौमू जिला जयपुर राजस्थान
4. लक्षमा देवी पुत्री स्व० नोन्दा रेगर पत्नि पदम चन्द रेगर
   निवासी ग्राम सामोद तह चौमू जिला जयपुर राजस्थान
5. लाडा देवी पुत्री स्व. नोन्दा रेगर पत्नि शम्भू
   निवासी ग्राम झाडली जिला नीम का थाना राजस्थान
6. कोशल्या पुत्री स्व० मुरलीधर रेगर पत्नि पूरणमल
   निवासी ग्राम उदयपुरिया तह. चौमू जिला जयपुर
7. छोटा पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नि रामजीलाल
   निवासी ग्राम भांकरोटा तह. सांगानेर जिला जयपुर
8. बरजी देवी पत्नि स्व. मुरलीधर रेगर (मृतक)
9. भग्गू देवी पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नी मूलचंद
   निवासी ग्राम तिगरिया धारिया तहसील चौमू जिला जयपुर
10. गीता देवी पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नि सूरजमल
    निवासी ग्राम धानोता तहसील चौमू जिला जयपुर
11. सूणी देवी पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नि लालाराम
    निवासी ग्राम केसानुर धावास जयपुर
12. सन्तरा देवी पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नि रघुवीर
    निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू जिला जयपुर
13. सावित्री देवी पुत्री मुरलीधर रेगर पत्नि जगदीश
    निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू जिला जयपुर
14. द्वारका प्रसाद पुत्र मुरलीधर रेगर
15. लक्ष्मीनारायण पुत्र मुरलीधर रेगर
16. प्रभू दयाल पुत्र मुरलीधर रेगर
    समस्त निवासी निवासी ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान
17. गुड्डु देवी पुत्री स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर पत्नि सूरजमल
    निवासी ग्राम सराई बावडी तहसील आमेर जिला जयपुर
18. मंजू देवी पुत्री स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर पत्नि दिनेश
    निवासी ग्राम खोरा सरना तहसील आमेर जिला जयपुर
19. माया देवी पुत्री स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर पत्नि महेन्द्र
    निवासी ग्राम खोरा सरना तहसील आमेर जिला जयपुर
20. मीना देवी पुत्री स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर पत्नि प्रेमचन्द
    निवासी ग्राम चाकसू तहसील चाकूस जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

21. रवि पुत्र स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर
22. शशी पुत्र स्व० भीवा उर्फ भीमसेन रेगर
23. श्रीमती प्रभा देवी पत्नी स्व. भीवा उर्फ भीमसेन रेगर
समस्त निवासी ग्राम बिलोची तहसील आमेर जिला जयपुर राज०
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीया की ओर से वाके ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आराजी खं. नं. 1600 रकबा 0.50 है. जो कि प्रतिवादीगण सं 01 ता 23 के नाम (अन्य खसरा नं. 1105 रकबा 0.4900 है. के साथ) सहखातेदारिता में दर्ज अंकित भूमि है, संपूर्ण का स्वयं को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि / खसरा के संदर्भ में प्रतिवादीगण की खातेदारिता / सहखातेदारिता अंकन का विलोपन कराने तथा खाता विभाजन करते हुए खसरा नं.1600 रकबा 0.50 है. का वादीया की एकल खातेदारिता में पृथक खाता कायम किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त खसरा / खाता में वादीया के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित ना किए जाने के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने बाबत प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि का साबिक खसरा नं 328 / 552 रकबा 02 बीघा था। जिसकी खातेदारिता प्रतिवादीगण सं 1 ता 5 के पिता नोन्दा पुत्र भैरूराम रैगर के नाम दर्ज रही है। वादीया द्वारा उक्त खातेदार नोन्दा पुत्र भैरूराम से उक्त संपूर्ण भूमि विधिवत प्रक्रिया अनुसार जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.01.1998 के क्रय की गई थी तथा उक्त क्रम में भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त कर वादीया भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है तथा वादीया द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाने में काफी धन खर्चा किया है। कालान्तर में भूमि के नवीन खसरा नं 1600 रकबा 0.50 है. कायम किए गए है। वादीया द्वारा भूमि क्रय किए जाने के क्रम में राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं के नाम प्रविष्टी अंकित कराये जाने के आशय से विक्रय पत्र की प्रति पटवारी हलका को दे दी गई थी। जिस पर पटवारी हलका द्वारा राजस्व रिकॉर्ड / जमाबंदी में वादीया का नाम अंकित / प्रविष्ट कर दिये जाने बाबत वादीया को आश्वस्त कर दिया गया था। जिस पर ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिला होने से वादीया द्वारा विश्वास कर लिया गया तथा आगे कभी राजस्व रिकॉर्ड को नही जाचा / परखा। उक्त खातेदारी आराजी पूर्व में भू–दान बोर्ड के नाम प्रविष्ट अंकित होने से वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं हो सका किन्तु न्यायालय के आदेशानुसार भूदान बोर्ड के नाम का अंकन राजस्व प्रविष्टियों से समाप्त हो जाने के उपरान्त तथा वादीया को भूमि के विक्रेता नोन्दा पुत्र भैरूराम की मृत्यु हो जाने पर नोन्दा के वारिसान प्रतिवादीगण सं 1 ता 5 द्वारा अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलकर साजिश पूर्वक (वादीया के नाम प्रविष्ट करवाए जाने के स्थान पर) बहैसियत नोन्दा के वारिसान स्वयं का नाम अवैध रूप में अंकित करवा लिया गया। जबकि प्रतिवादीगण 1 ता 5 को अपने पिता द्वारा भूमि को वादीया को बेचान किए जाने की पूर्णतः जानकारी थी। जिससे प्रतिवादीगण सं 1 ता 5 के नाम अंकित किया गया, उक्त ईंद्राज पूर्णतः गैर कानूनी तथा काबिले खारिज है। प्रतिवादीगण सं 1 ता 5 द्वारा स्वयं के नाम कराए गए उक्त अविधिक ईंद्राज की वादीया को कोई जानकारी नहीं हुई परन्तु हाल ही में वादीया द्वारा भूमि पर कृषि लोन लेने के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड की प्रति निकलवाने पर वादीया को प्रतिवादीगण 1 ता 5 के नाम अविधिक रूप से हुए उक्त गलत ईंद्राज की जानकारी हुई तथा हाल ही में दिनांक 03.08.2023 को प्रतिवादीगण 1 ता 5 द्वारा अपने नाम उक्त गलत ईन्द्राज के आधार पर भूमि पर कब्जा कर लेने तथा वादीया को भूमि से बेदखल कर भूमि को बेचान कर देने की धमकी दी गई। जिससे वादीया द्वारा भूमि क्रय किए जाने के क्रम में राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम ईन्द्राज कराने व प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित कराते हुए भूमि के विभाजन अनुसार क्रयशुदा भूमि खसरा नं. 1600 रकबा 0.50 है. का पृथक खाता कायम किये जाने हेतु वाद न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक व लाजमी हुआ है।

अतः वाद वादीया स्वीकार / डिक्री किया जाकर ग्राम बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. का वादीया को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि के संदर्भ में प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किए जाने का आदेश पारित किया जावे तथा उक्त उल्लेखित भूमि (भूमि ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है.) का खाता विभाजन अनुसार पृथक खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीया को अपनी क्रयशुदा भूमि ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित ना करे तथा भूमि के संदर्भ में यथास्थिति बनाए रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

वादीया की ओर से अपने वाद पत्र के संदर्भ / समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गए है:—

1 प्रदर्श—1:— आनलाईन / प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2076—2079 (खाता सं 519) वाके ग्राम बिलौची जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त (ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है.) प्रतिवादीगण के नाम दर्ज अंकित है।

2 प्रदर्श—2:— प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 07.08.2023 बाबत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.01.1998 जिसके अनुसार भूमि ख.नं. 328 / 552 रकबा 2 बीघा के तत्कालीन एकमात्र खातेदार नोन्दा पुत्र भैरू जाति रैगर द्वारा एक सद्‌भावी विक्रेता के रूप में भूमि का विधिवत विक्रय वादीया को कर किया गया है।

3 छायाप्रति:— नकल मिलान क्षेत्रफल भू—प्रबंध विभाग संवत 2046—2061 वाके ग्राम बिलौची। जिसके अनुसार भूमि वादग्रस्त ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. का साबिक खसरा नं. 328 / 552 रकबा 2 बीघा होना प्रदर्शित है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादपत्र में वर्णित तथ्यो के संदर्भ में जवाब व प्रकरण में उपस्थिति सुनिश्चित करने बाबत प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण सं 1 व 8 की मृत्यु हो जाने की जानकारी प्राप्त होने पर मृतक प्रतिवादीगण सं 1 व 8 की मृत्यु के संदर्भ में नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत प्रार्थना पत्रो का निस्तारण किया जाकर मृतक प्रतिवादी 1 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया तथा प्रतिवादी सं 8 के वारिसान का पूर्व से ही रिकॉर्ड पर स्थापित होने से प्रतिवादी सं. 8 के नाम के सम्मुख मृतक अंकित किया गया। उक्त अनुसरण में प्रतिवादीगण सं 2, 15, 16, 21, 22, 23 के बावजूद तामिल नोटिस (रजिस्टर्ड) के न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण सं 2, 15, 16, 21, 22, 23 के विरूद्ध दिनांक 01.05.2024 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए तथा उक्त क्रम / अनुसरण में न्यायालय हाजा द्वारा शेष प्रतिवादीगण सं 1/1 ता 1/7, 3 ता 7, 9 ता 14, 17 ता 20 को निरन्तर नोटिस प्रेषित किए जाने पर भी उक्त प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जाने पर उक्त अपेक्षित समस्त प्रतिवादीगण की तामिल जरिये प्रकाशन नोटिस दैनिक समाचार पत्र के सुनिश्चित की गई तथा नोटिस प्रकाशन दिनांक 06.09.2024 की पालना में प्रतिवादीगण द्वारा निर्धारित समयावधि में न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जाने पर दिनांक 05.11.2024 को प्रतिवादीगण सं 1/1 ता 1/7, 3 ता 7, 9 ता 14, 17 ता 20 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। जिसके अनुसरण में वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्लू—1 स्वयं वादीया शांति देवी पत्नि रामचंद्र, पीडब्लू—2 गवाह अमरचंद पुत्र भागीरथ, पीडब्लू—3 गवाह प्रभुदयाल पुत्र दूलाराम के पेश किए गए। जिनका मुख्य परीक्षण किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम वादी नियत की गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादीया ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिला है। जिसके द्वारा विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत तथा एक सद्‌भावी क्रेता के रूप में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.01.1998 के भूमि के तत्कालिक एकमात्र खातेदार नोन्दा पुत्र भैरू रैगर से भूमि ख.नं. 328 / 552 रकबा 2 बीघा का क्रय किया गया, परन्तु क्रेता (वादीया) के अशिक्षित होने से क्रेता / वादी द्वारा उक्त अनुसारण में राजस्व रिकॉर्ड में ईन्द्राज कर दिए जाने के आश्वासन पर विश्वास करते हुए कालान्तर में उक्त ईन्द्राज की पुष्टि नहीं की तथा वादीया के अशिक्षित होने का फायदा उठाते हुए विक्रेता के वारिसान द्वारा अपने पिता की मृत्यु हो जाने उपरान्त फौतगी नामांतकरण स्वयं के नाम ईन्द्राज करवा लिया तथा वादीया को उक्त ईन्द्राज स्वयं के नाम नहीं होने की जानकारी होने पर वादीया द्वारा प्रतिवादीगण से स्वयं (वादीया) [illegible] कहने पर प्रतिवादीगण 1 ता 5 द्वारा इंकार कर दिया गया। जिससे वादीया द्वारा [illegible] अधिकारो की सुरक्षार्थ वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाबत प्रतिवादीगण [illegible] विधिवत नोटिस जारी किए जाने के क्रम में बावजूद प्रकरण की भली [illegible] की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही वाद पत्र व वादपत्र के तथ्यो का किसी भी मान्य / औपचारिक / समुचित स्तर पर तथा किसी भी रूप [illegible] खंडन / प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वादीया भूमि की सद्‌भावी क्रेता के रूप में भूमि के संदर्भ में खातेदारी प्रविष्टी ईन्द्राज करवाए जाने की अधिकारी है। अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया को उक्त अनुसरण में हाल भूमि ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है.का वादीया के नाम पृथक खाता कायम किया जाने का आदेश पारित फरमाया जावे एवं तदनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध/प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीया द्वारा एक सद्भावी क्रेता के रूप में भूमि ख.नं. 328/552 रकबा 2 बीघा के एकमात्र अभिलिखित खातेदार नोन्दा पुत्र भैरू जाति रैगर से विधिवत प्रक्रिया के अंतर्गत जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के भूमि का क्रय किया गया है जिसका हाल खसरा न 1600 रकबा 0.50 है. कायम किया गया है। जिसके क्रम में वादीया का नाम ईन्द्राज नहीं किया जाकर विक्रेता की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान के नाम ईन्द्राज कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त/विलोपित कराकर स्वयं के नाम का ईन्द्राज कराने की वादीया विधिक अधिकारी है। प्रतिवादीगण को उक्त संदर्भ में किसी प्रकार की उज्र आपत्ति अथवा तथ्यो के खंडन के रूप में किसी प्रकार की अभिव्यक्ति प्रस्तुत किए जाने हेतु समुचित अवसर जरिये नोटिस दिए जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण पक्ष की ओर से वादपत्र का किसी भी स्तर पर कोई मान्य/औपचारिक खंडन अथवा प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थिति ही प्रस्तुत की गई है। जिससे तथ्यो के दृष्टिगत वाद वादीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर वादीया को वाके ग्राम बिलौची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. के संदर्भ में प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम विलोपित करते हुए वादीया के नाम का ईन्द्राज किया जावे तथा उक्त भूमि ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. वादीया की एकल खातेदारिता में पृथक खाता कायम किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

शांति **बनाम** रामचन्द्र व अन्य

[illegible]यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

[illegible]या 56/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
03/02/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादिया द्वारा एक [illegible] के रूप में भूमि ख.नं. 328/552 रकबा 02 बीघा के एकुभाग अभिलेखित खातेदार नोन्दा पुत्र भैरू जाति रैगर से विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के भूमि का क्रय किया गया है। जिसका हाल ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. कायम किया गया है। जिसके क्रम में वादी का नाम इन्द्राज नहीं किया जाकर विक्रेता की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान के नाम इन्द्राज कर दिया गया है। जिसे दुरुस्त/विलोपित कराकर स्वयं के नाम इन्द्राज कराने की वादिया विधिक अधिकारी है। प्रतिवादीगण को उक्त संदर्भ में किसी प्रकार की उज्र आपत्ति अथवा तथ्यों के खंडन के रूप में किसी प्रकार की अभिव्यक्ति प्रस्तुत किए जाने हेतु समुचित अवसर (जरिये नोटिस) दिए जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण पक्ष की ओर से वादपत्र का किसी भी स्तर पर कोई मान्य/औपचारिक खंडन अथवा प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही न्यायालय द्वारा [illegible] प्रस्तुत की गई है। जिससे [illegible] वाद वादिया [illegible] न्यायोचित प्रतीत [illegible] अतः वाद वादिया स्वीकार [illegible] किया जाकर वादिया को वाके ग्राम बिलोची तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ. ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. का खातेदार	P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

शांति बनाम रामचन्द्र व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 56/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	03/02/25	घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण 01 ता 05 का नाम विलोपित करते हुए वादिया के नाम का इन्द्राज किया जावे तथा उक्त भूमि ख.नं. 1600 रकबा 0.50 है. का वादी को एकल खातेदारी में पृथक खाता कायम किया जावे। अर्न्तगत अधिनियम जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.03.04 14:59:01 IST
Reason: SelfAttested